

कार्यालय नगर निगम, रुद्रपुर जनपद ऊधमसिंह नगर (उत्तराखण्ड)

e-mail – nagarnigamrudrapur@gmail.com

visit – www.nagarnigamrudrapur.com

Tel. 05944-242400

“ई-निविदा सूचना”

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम, रुद्रपुर द्वारा नगर निगम, रुद्रपुर कार्यालय में स्टाफ एवं अन्य कार्य हेतु यिभिन्न मानवसंवित (मैन पॉवर), 100 नग कूड़ा रिक्षा एवं 4 नग 3000 लीटर क्षमता के पानी के टैंकर उपलब्ध कराये जाने हेतु इच्छुक सेवाप्रदाता संस्थाओं/फर्मों/ठेकेदारों/ऐजेन्सीयों से दिनांक 14.10.2020 की प्रातः 11:00 बजे से 27.10.2020 की साय 5:00 बजे तक दोहरी निविदा प्रणाली (तकनीकी एवं वित्तीय निविदा) के अन्तर्गत ई-निविदायें आमंत्रित की जाती है। जो दिनांक 28.10.2020 को प्रातः 11:30 बजे निविदा समिति के द्वारा खोली जायेगी। ई-निविदा के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी उत्तराखण्ड शासन की वेबसाइट www.uktenders.gov.in तथा नगर निगम रुद्रपुर की वेबसाइट www.nagarnigamrudrapur.com से ढाउनलोड की जा सकती है। किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कोई कारण घटाये निरस्त करने का अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम, रुद्रपुर में निहित होगा।

17
73-10-2020

(रिकू बिष्ट)

नगर आयुक्त

नगर निगम, रुद्रपुर (ऊ०सिं० नगर)

(रामपाल सिंह)

महापौर

नगर निगम, रुद्रपुर (ऊ०सिं० नगर)

कार्यालय नगर निगम, रुद्रपुर जनपद ऊधमसिंह नगर (उत्तराखण्ड)

पत्रांक:- १९६४/ / स्व०अनु०-अधि०/ २०२०-२१/ PB
अक्टूबर, २०२० १९६४/५

दिनांक: 13.10.2020

प्रतिलिपि:-

- कार्यालय जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, ऊधमसिंह नगर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- कार्यालय नगर निगम, रुद्रपुर, ऊधमसिंह नगर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- सम्पादक, दैनिक समाचार पत्र डिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त सूचना को साईज ६x४ सेमी० में अपनी व्यवसायिक दरों में ३० प्रतिशत या उससे अधिक छूट देते हुए अपने समाचार पत्र के आगामी अंक में (उत्तराखण्ड एडीशन में) प्रकाशन करने का कष्ट करें तथा भुगतान हेतु बिल के साथ समाचार पत्र की दो प्रती सहित इस कार्यालय को उपलब्ध कराने को क्षम्ता दें।
- कम्यूटर ऑपरेटर, नगर निगम, रुद्रपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त निविदा सूचना एवं निविदा की शर्तों को उपरोक्तानुसार वेबसाइट पर अपलोड कर निविदा सम्बन्धी आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

०/८

(दीपक गोस्वामी)

सहायक नगर आयुक्त

नगर निगम, रुद्रपुर (ऊ०सिं० नगर)

पत्रांक- / स्वास्थ्य/आमोद/विविध/2020-21

विनांक-

मानवशक्ति (मैन पॉवर) उपलब्ध कराये जाने हेतु ई-निविदा की शर्तें-

निविदा फार्म का मूल्य ₹0 4000+720 (GST 18%)=4720.00

- नगर निगम में दिनांक 31.03.2021 तक मानवशक्ति उपलब्ध कराने के सापेक्ष निविदा की अनुमति लागत ₹0 1,50,00,000.00 (एक करोड़ पचास लाख रुपये मात्र) है।
- तकनीकी निविदा के साथ ₹0 3,00,000.00 (तीन लाख रुपये मात्र) का नगर निगम रुद्रपुर के नाम से बम्भक एफडीआर/सीडीआर जमालत धनराजि के रूप में सलग्न कर जमा करनी अनिवार्य होगी अन्यथा तकनीकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा एवं वित्तीय निविदा नहीं खोली जायेगी।
- मानवशक्ति (मैन पॉवर) उपलब्ध कराये जाने हेतु आमत्रित निविदा स्वीकृति की तिथि वित्तीय वर्ष 2020-21 की दिनांक 31.03.2020 तक होगी। सेवाप्रदाता संस्था/फर्म/ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली मानवशक्ति (मैनपॉवर) का निगम सेवाओं में विनियमीतिरण (Abortion) या (Regularization) के अधिकारी नहीं होंगे।
- नगर निगम में विनामीय कार्यों की आवश्यकता के अनुसार समयावधि द्वारा जाने अवधि सन्तोषजनक कार्य न करने की स्थिति में ठेका निरस्त करने का अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम रुद्रपुर को होगा।
- निविदादाता निविदा के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी नगर निगम रुद्रपुर के कार्यालय से सथा उत्तराखण्ड शासन की वेबसाईट www.uktenders.gov.in व नगर निगम रुद्रपुर की वेबसाईट www.nagarnigamrudrapur.com से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं। वेबसाईट से डाउनलोड किये जाने की स्थिति में निविदा शुल्क ₹0 4000 + GST @ 18% = 4720 (धार ८जार सात तीन बीस रुपये मात्र) का बैंक डिमाण्ड ड्राइट जो नगर आयुक्त नगर निगम रुद्रपुर के नाम हो तकनीकी निविदा के साथ सलग्न करना अनिवार्य होगा। अन्यथा तकनीकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा एवं वित्तीय निविदा नहीं खोली जायेगी।
- निविदादाता को अपने निविदा डिजिटल हस्ताक्षर सहित Tender Time Schedule (Key Dates) के अनुसार जमा करना होगा। जिन निविदादाताओं की निविदा नियत समय पर अपलोड होगी, सिस्टम उन्होंने को स्वीकार करेगा।

Key Dates निम्नानुसार होगी:-

S.No.	Schedule/Information	Date	Time
1-	Date of Online Publication	14-10-2020	11:00 am
2-	Documents Download Start Date	14-10-2020	11:00 am
3-	Bid Submission Start Date	14-10-2020	11:00 am
4-	Bid Submission End Date	27-10-2020	5:00 pm
5-	Offline Submission of Hard/Original Copy of Documents: End date	28-10-2020	11:00 am
6-	Bid Opening Date	28-10-2020	11:00 am

- सेवाप्रदाता संस्था/फर्म/ठेकेदार का केंद्र सरकार/उत्तराखण्ड राज्य के श्रम विभाग ₹0 1000000, ₹0 1000000 आयकर विभाग एवं जीएसटी उत्तराखण्ड में पंजीकृत होना अनिवार्य है तथा तकनीकी निविदा के साथ सम्बन्धित प्रमाण पत्र सलग्न करना अनिवार्य है। अन्यथा तकनीकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा एवं वित्तीय निविदा नहीं खोली जायेगी।
- सेवाप्रदाता संस्था/फर्म/ठेकेदार को प्रत्येक माह की 15 वीं तारीख तक ₹0 1000000 एवं ₹0 1000000 जमा कर प्रमाण पत्र नगर निगम रुद्रपुर के लेखा अनुभाग में जमा करना अनिवार्य होगा।
- सेवाप्रदाता संस्था/फर्म/ठेकेदार द्वारा तकनीकी निविदा के साथ पिछले तीन वर्षों का आईटी०आर० की सी०ए० द्वारा प्रमाणित प्रमाण सलग्न करना अनिवार्य होगा। अन्यथा तकनीकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा एवं वित्तीय निविदा नहीं खोली जायेगी।
- सेवाप्रदाता संस्था/फर्म/ठेकेदार को तकनीकी निविदा के साथ पिछले तीन वर्षों का टर्नओवर के सम्बन्ध में सी०ए० द्वारा प्रमाणित प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा किसी एक वर्ष का टर्नओवर न्यूनतम मु० ३ (तीन) करोड़ एवं तीन वर्षों का सम्मिलित करते हुए 10 (दस) करोड़ रुपया होना अनिवार्य है अन्यथा तकनीकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा एवं वित्तीय निविदा नहीं खोली जायेगी।

R.D. Ajay Dutsource

11. सेवाप्रदाता संस्था/फर्म/ठेकेदार को अनुमति के सम्बन्ध में सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग में मानवशक्ति (मैन पॉवर) उपलब्ध कराये जाने हेतु लिंगत तीन वर्षों में निर्गत तीन कार्य आदेशों की प्रमाणित शायाप्रति संलग्न करनी अनिवार्य होगी।
12. सेवा प्रदाता संस्था/फर्म/ठेकेदार को किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी/राजकीय संस्थाओं से कार्य संतोषजनक होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
13. सेवाप्रदाता संस्था/फर्म/ठेकेदार को जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त न्यूनतम 50 (पचास) लाख रुपया का नवीनतम हैसियत प्रमाण पत्र जो एक वर्ष से अधिक का न हो प्रस्तुत करना अनिवार्य है। एक वर्ष से पुराना हैसियत प्रमाण पत्र के साथ सम्बलित खुर्द-खुर्द न किये जाने सम्भव्य हैसियत प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले भजिस्ट्रेट/सड़म अधिकारी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा तकनीकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा एवं वित्तीय निविदा नहीं खोली जायेगी।
14. सेवाप्रदाता संस्था/फर्म/ठेकेदार को जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम चरित्र प्रमाण पत्र (छ. माह के अन्तर्गत का) की प्रमाणित प्रति तकनीकी निविदा के संलग्न करना अनिवार्य है। अन्यथा तकनीकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा एवं वित्तीय निविदा नहीं खोली जायेगी।
15. सेवाप्रदाता संस्था/फर्म/ठेकेदार द्वारा तकनीकी निविदा के साथ संलग्न सभी अग्रिमेख/प्रमाण पत्र संप्रमाणित होने अनिवार्य है। अन्यथा तकनीकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा एवं वित्तीय निविदा नहीं खोली जायेगी।
16. सेवाप्रदाता संस्था/फर्म/ठेकेदार को तकनीकी निविदा के साथ मु० 100 रु० (एक सौ) का नोन जूडिसियल स्टॉप पेपर/ई-स्टॉप पेपर की सॉफ्टकॉपी ऐबसाईट पर अपलोड एवं हाईकॉपी के साथ मूलरूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा। अन्यथा तकनीकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा एवं वित्तीय निविदा नहीं खोली जायेगी।
17. सेवाप्रदाता संस्था/फर्म/ठेकेदार को वित्तीय निविदा में उल्लिखित पदों के संपेक्ष निर्धारित मानदेश पर लिये जाने वाले सर्विस चार्ज का उल्लेख करना होगा। निविदा में टाई की स्थिति होने पर लाटरी निकाली जायेगी, जो सभी पक्षकारों का नाम होगी।
18. उपलब्ध कराये जाने वाली मानवशक्ति (मैन पॉवर) की संख्या घटाये व बढ़ाये जाने तथा शासनादेश सं० 757 दिन 12.06.2015 के द्वारा प्रदेश के नगर निगमों हेतु स्वीकृत आउटसोर्स के अन्य पदों के अनुसार उपनल द्वारा उपलब्ध न कराये जाने की दशा में कार्मिकों को आउटसोर्स ऐजेन्सी के माध्यम से उपनल द्वारा निर्धारित मानदेश एवं वेतन पर लिये जाने का अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम रुद्रपुर को होगा।
19. सफल निविदादाता को प्रत्येक कर्मी का पूर्ण विवरण रीक्षिक योग्यता, पञ्चावार का पता, तकनीकी अहता प्रमाण पत्र, मोबाइल नम्बर आदि सम्पूर्ण विवरण कार्य पूर्ण करने से पूर्व नगर निगम कार्यालय में उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
20. सेवाप्रदाता संस्था/फर्म/ठेकेदार के द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाली मानवशक्ति (मैन पॉवर) को वद के संपेक्ष निर्धारित योग्यता के प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। योग्यताकृत के अनुरूप सफलतापूर्यक कार्य न करने की स्थिति में सम्बन्धित व्यक्ति को कार्य से हटा दिया जायेगा तथा उसके त्वान पर सम्बन्धित संस्था/फर्म/ठेकेदार का एक सप्ताह के भीतर दूसरा कार्मिक उपलब्ध कराना अनिवार्य है एवं नये आने वाली व्यक्ति का कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व पूर्ण विवरण देना होगा।
21. उपलब्ध कराये गये कर्मियों के कार्य व्यवहार और आचारण की पूर्ण जिमेदारी सम्बन्धित फर्म की होगी तथा नगर आयुक्त किसी भी कर्मी को कार्य से हटाने हेतु स्वतंत्र होगा। जिस पर किसी भी प्रकार की आपत्ति फर्म द्वारा नहीं की जा सकेगी।
22. मानवशक्ति (मैन पॉवर) का का विवरण—

आउटसोर्सिंग पदों का विवरण		
1. पर्यावरण भित्र	212	-
2. बहुउद्देशीय निकाय कर्मी (परिचारक, चौकीदार, बैलदार, क्लीनर)	31	केन्द्र/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से 10 वीं उत्तीर्ण।
3. आशुलिपिक	2	1- केन्द्र/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से इण्टरमीडिएट। 2- देन्द्र/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से सम्बन्धित ट्रेड में डिप्लोमा/आईटीआई प्रमाण पत्र
4. वाहन चालक	25	1- आठवीं उत्तीर्ण। 2- वैद्य लाईसेन्स (हल्का/भारी) (निगम में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के वाहनों हेतु)
5. प्रकाश निरीक्षक	-	1- केन्द्र/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से इण्टरमीडिएट। 2- केन्द्र/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से सम्बन्धित ट्रेड में

		डिप्लोमा /आईटीआई प्रमाण पत्र
6. लाइनमैन	1	1- केन्द्र अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से हाईस्कूल उत्तीर्ण 2- केन्द्र अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से सम्बन्धित ट्रेड में डिप्लोमा /आईटीआई प्रमाण पत्र
7. सर्वेयर	1	1- केन्द्र/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से हाईस्कूल उत्तीर्ण 2- केन्द्र/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से सम्बन्धित ट्रेड में डिप्लोमा /आईटीआई प्रमाण पत्र
8. वर्क एजेंट	-	1- केन्द्र/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से हाईस्कूल उत्तीर्ण 2- केन्द्र/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से सम्बन्धित ट्रेड में डिप्लोमा /आईटीआई प्रमाण पत्र
9. माली	4	1- केन्द्र/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से ४ वी उत्तीर्ण 2- केन्द्र/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से सम्बन्धित ट्रेड में डिप्लोमा /आईटीआई प्रमाण पत्र
10. कार्सेन्टर	1	1- केन्द्र/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से हाईस्कूल उत्तीर्ण 2- केन्द्र/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से सम्बन्धित ट्रेड में डिप्लोमा /आईटीआई प्रमाण पत्र
अन्य		
11. जाईटी. विश्वकृष्ण (आनन्दलाल एमआईएस, ई-टेक्सरियर, बैंकसर्विस लिज़ार्यनिंग एवं अपर्फेटिंग, अन्य ई-मेटलवर्किंग इन्डस्ट्रीज़ कार्य हैं)	01	1- केन्द्र/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से स्नातक उत्तीर्ण 2- केन्द्र/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से सम्बन्धित ट्रेड में बी-टेक

23. सेवाप्रदाता संस्था/फर्म/ठेकेदार पीडब्ल्यूडी/ईपीएफ/ईएसआईसी/ब्रम कानून से आवृत्त होगा। जिसके न मानने अथवा इनके अनुसार कार्यकों के लाभों/अधिकारों का हनन करने व विपरीत स्थिति में सम्बन्धित आउटसोर्सिंग ऐजेन्सी द्वारा जमा धराहर/जमानत राशि निगम के पक्ष में जब्त कर प्रदेश के समस्त विभागों को इस सम्बन्ध में सूचित कर दिया जायेगा।
24. सेवाप्रदाता संस्था/फर्म/ठेकेदार को उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन वालकों के रात्रि में कार्य करने पर अगले कार्यदिवस एवं अवकाश में गये हुए वाहन वालक के कार्य हेतु कर्मी उपलब्ध करने की व्यवस्था करनी अनिवार्य है।
25. वित्तीय निविदा का निर्धारण ई-निविदा हेतु वित्तीय निविदा के निर्धारित प्रारूप (बीओक्यू) में कुल धनराशि प्रतिमाह कुल कर्मियों के बोग के आधार पर की जायेगी।
26. दो कर्मी की दरों के समान होने पर सर्विस घार्स (ठेकेदार का लाभाश्र) के आधार पर एल-१ का निर्धारित किया जायेगा।
27. निविदादाता को तकनीकी निविदा के साथ निम्न प्रारूप में सूचना तकनीकी निविदा के साथ अपलोड करनी होगी—

क्रम संख्या	फर्म का नाम	कार्यदाती संस्था का नाम जहाँ कार्य किया जाए और इसकी विवरणीय संपत्ति का वर्णन करना है।	कार्य की अवधि
		31.03.2020 तक किया गया है	


28. निविदादाता फर्म को 31.03.2020 तक की तिथि को उसके द्वारा किए जा रहे सभी कार्य ऑउटसोर्सिंग मैनपॉवर सम्बन्धी पूर्ण विवरण निर्धारित प्रारूप पर देना होगा तथा प्रत्येक कार्य के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग/संगठन/संस्था द्वारा जारी कार्य सन्तुष्टि प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना है। जिसके न होने की स्थिति में फर्म को तकनीकी रूप से अहं नहीं माना जायेगा।
29. निविदादाता का आई.एस.ओ. पंजीकरण होना अनिवार्य है तथा प्रमाण पत्र की ग्राति संलग्न करनी अनिवार्य है।
30. निविदादाता को उत्तरश्वाण व अन्य प्रदेश में व्हैक लिस्ट न होने सम्बन्धी मु. 10/-८० के स्टाम्प पेपर पर जायथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।


31. सफल निविदादाता को कार्य की निविदा राशि के सापेक्ष 5 प्रतिशत धनराशि की नगर आयुक्त नगर निगम लूटपुर के पदनाम से बचक एफडीआर / सीडीआर जिसकी वैद्यता अनुबन्ध समाप्ति के दो माह बाद तक की होगी कार्यपूर्ति जमानत के रूप में अनुबन्ध गठित करत समय कार्यालय में जमा करनी अनिवार्य है।
32. सेवाप्रदाता संस्था/फर्म/ठेकेदार द्वारा आउटसोर्स पर उपलब्ध कराये गये कार्मिकों को माह की 7वीं तारीख तक गानदेय/वेतन/नजदूरी का नियमित भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा। कार्मिकों को मह की 7वीं तारीख तक भुगतान न किये जाने की दशा में आउटसोर्सिंग ऐजेन्सी को भुगतान किये जाने वाले बिल में से ठेकेदार के लाभान्स में से निविदा में दिये गये लाभान्स प्रतिशत में आने वाली धनराशि का 20 प्रतिशत अर्थदण्ड कटौती कर लिया जायेगा। जो सूचीबद्ध कर उपलब्ध कराये गये कार्मिकों के इंवीएफ में जमा किये जाने हेतु अतिरिक्त धनराशि के रूप में इंवीएफ कार्यालय को प्रेषित कर दिया जायेगा।
33. किसी भी दशा में आउटसोर्स कर्मियों को उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड अथवा उत्तराखण्ड श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम पारिश्रमिक से न्यून धनराशि का भुगतान नहीं किया जायेगा। यदि न्यूनतम पारिश्रमिक से कम भुगतान किया जाता है, तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म की होगी।
34. सेवाप्रदाता संस्था/फर्म/ठेकेदार को माह की समाप्ति पर उपलब्ध कराई गई मानवशक्ति (मैन पॉवर) की उपस्थिति के सापेक्ष बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जिससे निगम से प्रस्तुत बिल माह के प्रथम सप्ताह में भुगतान हो सके। प्रस्तुत बिल में से नियमानुसार आधकर एवं अन्य देय करों की कटौती किये जाने के उपरान्त किया जायेगा।
35. नगर निगम लूटपुर को उपलब्ध कराई जाने वाली मानवशक्ति (मैन पॉवर) की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सेवाप्रदाता संस्था/फर्म/ठेकेदार की होगी।
36. सेवाप्रदाता संस्था/फर्म/ठेकेदार उपलब्ध कराई जाने वाली मानवशक्ति (मैन पॉवर) में व्यक्तियों की आयु 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
37. सशर्त निविदाएँ किसी भी दशा में मान्य नहीं होगी।
38. सेवाप्रदाता संस्था/फर्म/ठेकेदार को तकनीकी निविदा में अपलोड किये गये लैंक लिस्ट न होने सम्बन्धी शपथ पत्र, मु 100 रु. का स्टाम्प पेपर एवं जमानत व निविदा द्वाल की एफडीआर / सीडीआर / बैक डिमाण्ड इफेट की मूल प्रतियां सीलबन्ध लिफाके में निर्धारित की-डेट्स के अनुसार नगर निगम लूटपुर के कार्यालय में जमा करनी अनिवार्य है।
39. किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कोई कारण बताये निरस्त/अस्तीकृत करने अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम लूटपुर को होगा।
40. निविदा प्रक्रिया से सम्बन्धित कोई विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में नगर आयुक्त नगर निगम लूटपुर का निर्णय अन्तिम और सभी निविदादाताओं को मान्य एवं बहुमारी होगा।
41. सेवाप्रदाता संस्था/फर्म/ठेकेदार को नगर निगम द्वारा बुलाये जाने पर तुरन्त सम्पर्क करना होगा और दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा। अन्यथा की दशा में
42. नगर निगम लूटपुर की आवश्यकतानुसार मानवशक्ति (मैन पॉवर) की संख्या नियमानुसार घटाई और बढ़ाई जा सकती है।
43. सेवाप्रदाता संस्था/फर्म/ठेकेदार को स्वीकृत निविदा की कार्य मद में नगर निगम लूटपुर को सम्पूर्ण सेवायें देनी होगी।
44. सेवाप्रदाता संस्था/फर्म/ठेकेदार को उपलब्ध कराई जाने वाली मानवशक्ति (मैन पॉवर) में भी नियमानुसार उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आवश्यक सम्बन्धी अध्यायिक शासनादेशों (सन्दर्भ-समय पर परिवर्तनीय) का अनुपालन अनिवार्य रूप से करना होगा।
45. नगर निगम लूटपुर द्वारा कार्यालय स्टाफ हेतु निर्धारित आवश्यक क्रिकेट पट्टी के साथ्या की मांग के आधार पर सेवाप्रदाता संस्था/फर्म/ठेकेदार को मानवशक्ति (मैन पॉवर) उपलब्ध करानी होगी। इस हेतु सम्बन्धित व्यक्ति का आवश्यक प्रमाण पत्र (उत्तराखण्ड में लागू) भी उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
46. यदि किसी कर्मी के कार्यों के कारण निगम सम्पत्ति को किसी प्रकार का नुकसान होता है, तो उसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म की होगी।
47. फर्म द्वारा आउटसोर्स पर नगर निगम लूटपुर को उपलब्ध कराये गये कर्मियों का नियमित नियुक्ति/वेतनमान प्रदान करने का कोई दावा स्वीकार नहीं होगा तथा नियमित नियुक्ति होने पर सम्बन्धित कार्मिकों को तत्काल हटा दिया जायेगा एवं किसी भी न्यायालय में दावा प्रस्तुत नहीं किया जायेगा। यदि आउटसोर्स कर्मी द्वारा किसी न्यायालय में इस प्रकार दावा प्रस्तुत किया जाता है, तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी फर्म की होगी।
48. उपरोक्तानुसार निर्धारित शर्तों में से किसी भी एक अध्या समस्त शर्तों का पालन न करने/शर्तों के उल्लंघन करने की दशा में निविदा/अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है। जिसका सम्पूर्ण उत्तराधित्व सम्बन्धित सेवाप्रदाता संस्था/फर्म/ठेकेदार का होगा।
49. केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम कान्ट्रैक्टर बेनिफिट (सर्विस चार्ज) से कम पर वित्तीय निविदा स्वीकृत नहीं की जा सकेगी।
50. उपलब्ध कराई गई मानवशक्ति (मैन पॉवर) में अनुपस्थित व्यक्तियों के वेतन कटौती दिनों के अनुसार की जायेगी।


31. सफल निविदादाता को कार्य की निविदा राशि के सापेक्ष 5 प्रतिशत घनराशि की नगर आयुक्त नगर निगम रुद्रपुर के पदनाम से बन्धक एफडीआर/सीडीआर जिसकी वैद्यता अनुबन्ध समाप्ति के दो माह बाद तक की होगी, कार्यपूर्ति जमानत के रूप में अनुबन्ध गठित करते समय कार्यालय में जमा करनी अनिवार्य है।
32. सेवाप्रदाता संस्था/फर्म/ठेकेदार द्वारा आउटसोर्स पर उपलब्ध कराये गये कार्मिकों को माह की 7वीं तारीख तक मानदेय/वेतन/मजदूरी का नियमित भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा। कार्मिकों को माह की 7वीं तारीख तक भुगतान न किये जाने की दशा में आउटसोर्सिंग ऐजेन्सी को भुगतान किये जाने वाले बिल में से ठेकेदार के लागान्स में से निविदा में दिये गये लाभांश प्रतिशत में आने वाली घनराशि का 20 प्रतिशत अर्थदण्ड कटौती कर दिया जायेगा। जो सूचीबद्ध कर उपलब्ध कराये गये कार्मिकों के ईपीएफ में जमा किये जाने हेतु अतिरिक्त घनराशि के रूप में ईपीएफ कार्यालय को प्रेषित कर दिया जायेगा।
33. किसी भी दशा में आउटसोर्स कार्मियों को उत्तराखण्ड पूर्व सीनिक कल्याण बोर्ड अथवा उत्तराखण्ड श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम पारिश्रमिक से न्यून घनराशि का भुगतान नहीं किया जायेगा। यदि न्यूनतम पारिश्रमिक से कम भुगतान किया जाता है, तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म की होगी।
34. सेवाप्रदाता संस्था/फर्म/ठेकेदार को माह की समाप्ति पर उपलब्ध कराई गई मानवशक्ति (मैन पॉवर) की उपस्थिति के सापेक्ष बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जिससे निगम से प्रस्तुत बिल माह के प्रथम सप्ताह में भुगतान हो सके। प्रस्तुत बिल में से नियमानुसार आयकर एवं अन्य देय करों की कटौती किये जाने के उपरान्त किया जायेगा।
35. नगर निगम रुद्रपुर को उपलब्ध कराई जाने वाली मानवशक्ति (मैन पॉवर) की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सेवाप्रदाता संस्था/फर्म/ठेकेदार की होगी।
36. सेवाप्रदाता संस्था/फर्म/ठेकेदार उपलब्ध कराई जाने वाली मानवशक्ति (मैन पॉवर) में व्यक्तियों की आयु 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
37. सशर्त निविदाएं किसी भी दशा में मान्य नहीं होगी।
38. सेवाप्रदाता संस्था/फर्म/ठेकेदार को तकनीकी निविदा में अपलोड किये गये बैंक लिस्ट न होने सम्बन्धी शपथ पत्र, मु 100 रु. का स्टाम्प पेपर एवं जमानत व निविदा शुल्क की एफडीआर/सीडीआर/बैंक हिमाण्ड ड्राफ्ट की मूल प्रतिया सीलबन्द लिफाफे में निर्धारित की-डेट्स के अनुसार नगर निगम रुद्रपुर के कार्यालय में जमा करनी अनिवार्य है।
39. किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कोई कारण बताये निरस्त/अस्तीकृत करने अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम रुद्रपुर को होगा।
40. निविदा प्रक्रिया से सम्बन्धित कोई विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में नगर आयुक्त नगर निगम रुद्रपुर का निर्णय अनिम और सभी निविदादाताओं की मान्य एवं शाव्यकारी होगा।
41. सेवाप्रदाता संस्था/फर्म/ठेकेदार को नगर निगम द्वारा शुलाये जाने पर तुरन्त सम्पर्क करना होगा और दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा। अन्यथा की दशा में
42. नगर निगम रुद्रपुर की आवश्यकतानुसार मानवशक्ति (मैन पॉवर) की संख्या नियमानुसार घटाई और बढ़ाई जा सकती है।
43. सेवाप्रदाता संस्था/फर्म/ठेकेदार और स्त्रीकृत निविदा की कार्य मद में नगर निगम रुद्रपुर को सम्पूर्ण सेवायें देनी होगी।
44. सेवाप्रदाता संस्था/फर्म/ठेकेदार को उपलब्ध कराई जाने वाली मानवशक्ति (मैन पॉवर) में नी नियमानुसार उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आरक्षण सम्बन्धी अव्यावधिक शासनादेशों (समय-समय पर परिवर्तनीय) का अनुपालन अनिवार्य रूप से करना होगा।
45. नगर निगम रुद्रपुर द्वारा कार्यालय स्टाफ हेतु निर्धारित आरक्षण के सापेक्ष रिक्त पदों के संख्या की मांग के आधार पर सेवाप्रदाता संस्था/फर्म/ठेकेदार को मानवशक्ति (मैन पॉवर) उपलब्ध करानी होगी। इस हेतु सम्बन्धित व्यक्ति का आरक्षण प्रमाण पत्र (उत्तराखण्ड में लागू) भी उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
46. यदि किसी कर्मी के कारण निगम सम्पत्ति को किसी प्रकार का नुकसान होता है, तो उसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म की होगी।
47. फर्म द्वारा आउटसोर्स पर नगर निगम रुद्रपुर को उपलब्ध कराये गये कार्मियों का नियमित नियुक्ति/वेतनमान प्रदान करने का कोई दावा स्वीकार नहीं होगा तथा नियमित नियुक्ति होने पर सम्बन्धित कार्मिकों को तत्काल हटा दिया जायेगा एवं किसी भी न्यायालय ने दावा प्रस्तुत नहीं किया जायेगा। यदि आउटसोर्स कर्मी द्वारा किसी न्यायालय में इस प्रकार दावा प्रस्तुत किया जाता है, तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी फर्म की होगी।
48. उपरोक्तानुसार निर्धारित शर्तों में से किसी भी एक अधिवा समस्त शर्तों का पालन न करने/शर्तों के उल्लंघन करने की दशा में निविदा/अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है। जिसका सम्पूर्ण उत्तराखण्ड सम्बन्धित सेवाप्रदाता संस्था/फर्म/ठेकेदार का होगा।
49. केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम कान्ट्रैक्टर बेनिफिट (सर्विस चार्ज) से कम पर वित्तीय निविदा स्वीकृत नहीं की जा सकती।
50. उपलब्ध कराई गई मानवशक्ति (मैन पॉवर) में अनुपस्थित व्यक्तियों के वेतन कटौती दिनों के अनुसार की जायेगी।


51. निविदा खोले जाने की तिथि को राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/शासन/जिला प्रशासन द्वारा अवकाश घोषित कर दिये जाने की स्थिति में निविदा अगले कार्य दिवस में प्रातः 11:00 बजे अधिप्राप्ति समिति द्वारा उपस्थित निविदादाताओं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जाएगी।



(क्रीपूर सिंह)
कर एवं राजस्व मोहर्रि/
अधिकाल लिपिक
नगर निगम रुद्रपुर
ऊधमसिंहनगर



(अमित सिंह नेगी)
सफाई निरीक्षक
नगर निगम रुद्रपुर
ऊधमसिंहनगर


(पर्कज जोशी)
सहायक लेखाकार
नगर निगम रुद्रपुर
ऊधमसिंहनगर


(दीपक गोस्वामी)
सहायक नगर आयुक्त
नगर निगम रुद्रपुर


(बचन राम आर्य)
वरिष्ठ वित्त अधिकारी
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंहनगर


(रिकू बिष्ट)
नगर आयुक्त
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंहनगर


(रामपाल सिंह)
महापौर
नगर निगम रुद्रपुर
ऊधमसिंहनगर

मानवशक्ति उपलब्ध कराये जाने हेतु तकनीकी निविदा प्रपत्र

सेवा में,

नगर निगम रुद्रपुर
अधमसिंहनगर

गहोदव,

नगर निगम रुद्रपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में मानवशक्ति उपलब्ध कराये जाने हेतु आमंत्रित निविदा में निम्नानुसार वाइजित तकनीकी निविदा सम्बन्धी अभिलेख/प्रपत्र/शुल्क/धरोहर धनराशि आदि संलग्न है-

क्रम संख्या	तकनीकी निविदा का विवरण	विवरण
1.	जमानत धनराशि रु0 3,00,000.00 (तीन लाख रुपये मात्र) का वरिष्ठ वित्त अधिकारी, नगर निगम रुद्रपुर के नाम बच्चक एफडीआर / सीडीआर	
2.	निविदा शुल्क की मु0 4000 + GST @ 18% (720) = 4720-00 (चार हजार सात सौ दोस रुपये रुपये मात्र) का वरिष्ठ वित्त अधिकारी नगर निगम रुद्रपुर के नाम बच्चक बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट	
3.	केन्द्र सरकार / उत्तराखण्ड राज्य के अम विभाग में पंजीकरण का प्रमाण	
4.	केन्द्र सरकार / उत्तराखण्ड राज्य ई०पी०एफ० (भविष्य निविदी कार्यालय) में पंजीकरण का प्रमाण पत्र	
5.	केन्द्र सरकार / उत्तराखण्ड राज्य ई०पी०आई० पंजीकरण प्रमाण पत्र	
6.	केन्द्र सरकार / उत्तराखण्ड राज्य में जीएसटी रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र	
7.	केन्द्र सरकार / उत्तराखण्ड राज्य आयकर जमा प्रमाण पत्र (आईटीआर) सी०ए० द्वारा प्रमाणित छायाप्रति	
8.	पिछले तीन वर्षों का आयकर जमा प्रमाण पत्र (आईटीआर) सी०ए० द्वारा प्रमाणित प्रमाण (किसी एक वर्ष का न्यूनतम टन और 3 (तीन) करोड़ प्रतिवर्ष तथा तीन वर्षों का सम्मिलित करते हुए 10 (दस) करोड़ रु0)	
10.	दि० 31.03.2020 तक मानव शक्ति उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सरकारी/अद्वासरकारी विभाग द्वारा दिग्गत तीन वित्तीय वर्षों में निर्गत तीन कार्यालय की प्रमाणित प्रति	
11.	कार्यालय निर्गत करने वाले विभाग / संगठन / संस्था द्वारा निविदा शर्त सं० 12 के अनुसार निर्गत प्रमाण पत्र।	
12.	जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त न्यूनतम 50 (पिछास) लाख रुपया नवीनतम हैसियत प्रमाण पत्र (हैसियत प्रमाण 01 वर्ष के अन्तर्गत का हो) तथा 01 वर्ष से पुराना होने की स्थिति में प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले मजिस्ट्रेट / सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र	
13.	जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम चरित्र प्रमाण पत्र (चरित्र प्रमाण पत्र छ. माह के अन्तर्गत का हो)	
14.	मु0 100/-रु0 (सौ रुपया) का नीन जूडिशियल स्टोप ऐपर/ई-स्टोप ऐपर	
15.	आई एस ओ. प्रमाण पत्र	
16.	उत्तराखण्ड व अन्य प्रदेश में क्लोक लिस्ट न होने सम्बन्ध मु0 10/-रु0 के स्टाम्प पैपर पर शपथ पत्र	

निविदादाता के हस्ताक्षर व मुहर